


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इन्जिनियर्स जज<br>सुशीला देवी बनाम सरपंच ग्रा.प. ततारपुरा<br>अपील जीसीएमएस नं. 2025 / 560  | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस हुक्म<br>की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 17.12.2025  | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांत ने निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रकरण को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता अपीलांत श्री विजय सिंह राठौड ने आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित किया है। अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं ऐसी स्थित में हस्तगत प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलांत द्वारा पत्रावली को नोट प्रेस किये जाने पर पत्रावली को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (पूनम)<br/>           सभाधीय आयुक्त,<br/>           ततारपुरा         </p> |   |